हरि कान्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

अर्धशापत्रसं0-124/1191/84-1-13-सीपी-16/05टीसी
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनु0-1
लखनऊ दिनॉक 16 दिसम्बर, 2013

प्रिय महोदय,

कृपया सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र संख्या-4(1)/2012 सीपीयू, दिनॉक 30 अप्रैल, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या'3086/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./लेखा/2013, दिनॉक 11 नवम्बर, 2013 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की नवीनतम गाइड लाइन्स के अनुसार कन्ज्यूमर फोरा के सुदृढीकरण हेतु आगामी 04 वर्षो हेतु चरणवार भवन निर्माण मद में रू0 41,23,49,000;00 (इक्तालिस करोड तेइस लाख उन्चास हजार रूपये) मात्र की आवश्यकता होगी। अत: प्रश्नगत धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के पक्ष में आबंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरि कान्त त्रिपाठी)

श्री मनोज परीडा,
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

<u>अर्धशासकीय पत्र संख्या-124/1191(1)/84-1-13-तद्दिनॉक</u>

उपरोक्त अर्धशासकीय पत्र की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने मुझसे अपेक्षा की गई है।

भवदीय,

(हरि कान्त त्रिपाठी)

मो0 रईस सिद्दीकी,
निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in